रामेश्वर दास अग्रवाल एवं अन्य

बनाम

किरण अग्रवाल एवं अन्य

नवंबर 23, 2007

[जी.पी. माथुर एवं पी. सथाशिवम, जे.जे.]

मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996- धारा 11- आवेदन अन्तर्गत- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पक्षकारों के दावे एवं आपत्तियों को ध्यान में नहीं रखते हुए एवं तर्कपूर्ण आदेश पारित नहीं करते हुए मध्यस्थ की नियुक्ति- की स्थिरता- निर्धारित : एसबीपी एवं कंपनी के प्रकरण में निर्धारित किये गये सिद्धांतों के प्रकाश में अन्तर्गत धारा 11(6) का आदेश एक न्यायिक घोषणा है- यह मुख्य न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वह दोनों पक्षकारों के दावे को ध्यान में रखे और तर्कपूर्ण आदेश पारित करें - चूंकि, मुख्य न्यायाधीश का आदेश स्थिर नहीं और निरस्त किया- एसबीपी एवं कंपनी प्रकरण के प्रकाश में मामले को उच्च न्यायालय को विचार करने हेतु प्रेषित किया गया।

पक्षकारों के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ। करार की शर्तों के अनुसार पहले उत्तरदाता ने मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु आवेदन दायर किया। उच्च न्यायालय द्वारा सभी उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किये गये, परन्तु उनमें से अधिकतर की तामील नहीं हुई, जवाबी शपथपत्र दायर करने के लिए समय मांगा और कथन किया कि निर्णयन हेतु कोई विवाद शेष नहीं है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकार किया गया और एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को मध्यस्थ नियुक्त किया गया। जिससे यह अपील प्रस्तुत हुई।

अपील को स्वीकार करते हुए और मामले को उच्च न्यायालय को प्रेषित करते हुए न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया :

1. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश निरस्त किया गया और उच्च न्यायालय को एसबीपी एवं कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और अन्य' प्रकरण में निर्धारित सिद्धांतों के प्रकाश में नया आदेश पारित करने हेतु प्रेषित किया। [10][497-ए]

2.1. एसबीपी एवं कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और अन्य में सात न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय से, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत मुख्य न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां प्रशासनिक शक्ति नहीं है, बल्कि यह एक न्यायिक शक्ति है। उस आदेश के विरूद्ध अपील केवल अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय को की जा सकती है। हालांकि कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड का निर्णय निरस्त हो चुका है, पीठ ने यह स्पष्ट किया है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति वैध मानी जाएगी, सभी आपत्तियां अधिनियम की धारा 16 के तहत निर्धारित होने के लिए छोड़ दी जाएगी। इस न्यायालय के एसबीपी एवं कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और अन्य के निर्णय के पश्चात् यह मुख्य न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वह दोनों पक्षकारों के दावे को ध्यान में रखे और एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करें। [पैरा 8] [494-बी, सी, डी; 495-ए, बी]

2.2. दुर्भाग्य से, एसबीपी एवं कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और अन्य के मामले का निर्णय हालांकि पहले यानी 26.10.2005 को तय किया गया था, इसे मुख्य न्यायाधीश के ध्यान में नहीं लाया गया, जिन्होंने इसके बाद एक आदेश पारित किया, जो कि 09.12.2005 को पारित किया गया था। इस तथ्य को ध्यान में

रखते हुए कि धारा 11(6) के तहत पारित आदेश एक न्यायिक आदेश है और अपीलार्थियों के रूख के प्रकाश में दोनों पक्षकारों के दावे और आपत्तियों को ध्यान में नहीं रखे मध्यस्थ नियुक्ति करने का आक्षेपित आदेश बरकरार नहीं रखा जा सकता है। आदेश में मध्यस्थ नियुक्ति करने का कोई कारण दर्शित नहीं हुआ। मध्यस्थ नियुक्ति करने के आवेदन के विरूद्ध शपथपत्र दायर करने की प्रार्थना के बावजूद मुख्य न्यायाधीश द्वारा आगे समय नहीं दिया गया। उत्तदाता संख्या 4 के अलावा दूसरे उत्तरदाताओं पर नोटिस की तामील नहीं हुई और उन्हें बिना सुने मध्यस्थ नियुक्त करने का आदेश पारित किया गया। यह आदेश एसबीपी एवं कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। [पैरा 8] [494-डी, ई, एफ; 495-ए, बी, सी; 496-डी, ई]

एसबीपी एवं कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और अन्य [2005] 8 एससीसी 618, अनुगमन किया।

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम रानी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, [2002] 2 एससीसी 388, निर्दिष्ट किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 2007 का 5366

इलाहाबाद न्यायाधिकरण ए.ए. संख्या 2003 की 54 के उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 09.12.2005 से।

अपीलार्थियों की ओर से मनोज स्वरूप एवं ललिता कोहली (मैसर्स मनोज स्वरूप व कम्पनी)।

उत्तरदाताओं की ओर से जय सावला, रीना बग्गा, गौरव अग्रवाल व आशुतोष लोहिया।

निर्णय पी. सथाशिवम, जे. द्वारा पारित किया गया।

(1) अनुमति दी गयी।

(2) यह अपील 2003 के मध्यस्थता आवेदन संख्या 54 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.2005 के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें पक्षों के मध्य विवाद के संबंध में माननीय श्री न्यायमूर्ति गिरिधर मालवीय, एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है।

(3) उच्च न्यायालय के समक्ष उत्तरदाता संख्या 4 और 5 इस अपील में अपीलकर्ता हैं। उनके अनुसार, स्वर्गीय हरि प्रकाश अग्रवाल (उत्तरदाता संख्या 7 के पिता) और रामेश्वर दास अग्रवाल (यहां अपीलकर्ता संख्या 1) बहुत करीबी रिश्तेदार थे और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सामान और अन्य वस्तुओं का व्यवसाय जारी रखने का फैसला किया। उन्होंने 15.05.1992 को एक साझेदारी विलेख निष्पादित किया जिसमें एक मध्यस्थता खंड शामिल है। इसके बाद, उनके दोनों परिवारों के सदस्यों के बीच एक विवाद उत्पन्न हुआ और भागीदारों द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 13.09.2002 के समझौते के अनुसार, रवींद्रपुरी, वाराणसी के श्री गोपाल गोयल को व्यवसाय से संबंधित सभी विवादों को तय करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था। चूंकि परिवारों के बीच सभी विवादों को सुलझा लिया गया था, इसलिए तीन साझेदारी फर्मों को पुनर्गठित करने के लिए साझेदारी का नया विलेख 13.09.2002 को निष्पादित किया गया था और सभी भागीदारों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था और एकमात्र मध्यस्थ - श्री गोपाल गोयल और एक श्री विनोद कुमार जिंदल, मध्यस्थ के सलाहकार में से एक द्वारा देखे गए थे। इसकी सूचना बैंक और बिक्री-कर अधिकारियों को दी गई। 13.09.2002 को श्रीमती किरण अग्रवाल और उनके पति शिव कुमार अग्रवाल सेवानिवृत्ति के पश्चात् 05.07.2003 को एक नया साझेदारी विलेख

निष्पादित किया, जिस पर संबंधित पक्षों द्वारा विधिवत हस्ताक्षर भी किए गए थे। इसके बाद, पहले उत्तरदाता ने दिनांक 15.05.1992 के समझौते के खंड 21 के आधार पर मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 11 के तहत दिनांक 07.07.2003 को एक आवेदन दायर किया। 17.10.2003 को, उच्च न्यायालय ने सभी 8 उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया। इसके बाद, मामला 09.12.2005 को सूचीबद्ध किया गया था और कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश उत्तरदाताओं पर तामील नहीं हुई थी। श्री रामेश्वर दास अग्रवाल, अपीलकर्ता संख्या-1 का अपने अधिवक्ता के माध्यम से उच्च न्यायालय में प्रतिनिधित्व किया गया और जवाबी शपथपत्र दाखिल करने के लिए समय देने की प्रार्थना की। यह भी कहा गया कि निर्णय के लिए कोई विवाद नहीं बचा है। उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार करने के बाद दिनांक 09.12.2005 के आदेश द्वारा माननीय श्री न्यायमूर्ति गिरिधर मालवीय को मध्यस्थ नियुक्त किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने यह अपील दायर की।

(4) हमने अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज स्वरूप और उत्तरदाता संख्या 1 और 7 के विद्वान अधिवक्ता क्रमशः श्री जय सावला व श्री गौरव अग्रवाल को सुना। उत्तरदाता संख्या 2 से 6 द्वारा विधिवत नोटिस दिए जाने के बावजूद अपील का विरोध करने के लिए नहीं चुना गया।

(5) अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज स्वरूप ने एसबीपी एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और अन्य, (2005) 8 एससीसी 618 में इस न्यायालय के सात-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा किया, जो 26.10.2005 को सुनाया गया था। प्रस्तुत किया गया कि अधिनियम की धारा 11 के तहत आवेदन पर निर्णय एक न्यायिक घोषणा है, माननीय मुख्य न्यायाधीश का आक्षेपित आदेश जिसमें कोई कारण नहीं है, कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे रद्द किया जाना

चाहिए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि माननीय मुख्य न्यायाधीश, जिन्होंने आक्षेपित आदेश पारित किया, ने यह सत्यापित करने का ध्यान नहीं रखा कि क्या सभी उत्तरदाताओं को विधिवत नोटिस की तामील हुई। उन्होंने आगे तर्क दिया कि किसी भी स्थिति में, उच्च न्यायालय को अपनी आपत्तियां दर्ज करने के लिए उचित समय देना चाहिए था। दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री जय सावला और श्री गौरव अग्रवाल ने प्रस्तुत किया कि चूँकि यहां अपीलकर्ताओं (उच्च न्यायालय के समक्ष उत्तरदाताओं) ने अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए पर्याप्त समय का उपयोग नहीं किया, माननीय मुख्य न्यायाधीश के अंतिम आदेश को गलत नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है।

(7) हमने प्रासंगिक सामग्रियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

(8) दोनों पक्षों के दावे का विश्लेषण करने से पहले, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने 09.12.2005 को उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने का आदेश पारित किया था। 26.10.2005 को, एसबीपी एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और अन्य (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय की सात-न्यायाधीशों की पीठ ने पूरी कानूनी स्थिति की समीक्षा की और मध्यस्थ की नियुक्ति के मामले में विभिन्न निर्देश जारी किए। बड़ी पीठ ने कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम रानी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, (2002) 2 एससीसी 388 मामले में पहले के फैसले को भी खारिज कर दिया है। बड़ी पीठ द्वारा निकाले गए निष्कर्षों का उल्लेख करना उपयोगी होगा जो इस प्रकार हैं:

47. इसलिए, हम अपने निष्कर्षों को इस प्रकार सारांशित करते हैं:

(i) अधिनियम की धारा 11(6) के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयोग की गई शक्ति एक प्रशासनिक शक्ति नहीं है। यह एक न्यायिक शक्ति है.

(ii) अधिनियम की धारा 11(6) के तहत शक्ति, पूरी तरह से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा केवल उस न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को और भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को सौंपी जा सकती है।

(iii) उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पदनाम के मामले में, नामित न्यायाधीश द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति क़ानून द्वारा प्रदत्त मुख्य न्यायाधीश की होगी।

(iv) मुख्य न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश को प्रारंभिक पहलुओं पर निर्णय लेने का अधिकार होगा जैसा कि इस निर्णय के पहले भाग में दर्शाया गया है। अनुरोध पर विचार करना, वैध मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व, जीवित दावे का अस्तित्व या अन्यथा, उसकी शक्ति के प्रयोग के लिए शर्तों का अस्तित्व और मध्यस्थ या मध्यस्थों की योग्यता पर विचार करना उसका अपना अधिकार क्षेत्र होगा। आवश्यकता पड़ने पर मुख्य न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश अधिनियम की धारा 11(8) के अनुसार योग्य मध्यस्थ को नामित करने के मामले में किसी संस्था की राय लेने के हकदार होंगे, लेकिन मध्यस्थ की नियुक्ति का आदेश केवल मुख्य न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश का ही होगा।

(v) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अधिनियम की धारा 11(6) के तहत प्राधिकारी के रूप में जिला न्यायाधीश का पदनाम अधिनियम की योजना पर आधारित नहीं है।

(vi) एक बार जब मामला मध्यस्थ न्यायाधिकरण या एकमात्र मध्यस्थ तक पहुंच जाता है, तो उच्च न्यायालय मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान मध्यस्थ या मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और पक्षकार केवल अधिनियम की धारा 37 या अधिनियम की धारा 34 की शर्तों के संदर्भ में न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं।

(vii) चूंकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उस न्यायालय के नामित न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश एक न्यायिक आदेश है, इसलिए उस आदेश के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है।

(viii) अधिनियम की धारा 11(6) के तहत किसी आवेदन पर विचार करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है।

(ix) ऐसे मामले में जहां पक्षकारों द्वारा अधिनियम की धारा 11(6) का सहारा लिए बिना एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया गया है, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास अधिनियम की धारा 16 के अनुसार सभी मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र होगा।

(x) चूंकि सभी कोंकण रेलवे निगम. लिमिटेड बनाम रानी कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड 2 में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा निर्देशित थे और अधिनियम की धारा 11(6) के तहत आदेश उस निर्णय में अपनाई गई स्थिति के आधार पर किए गए हैं, हम स्पष्ट करते हैं कि अब तक की गई मध्यस्थों या मध्यस्थ न्यायाधिकरणों की नियुक्तियों को वैध माना जाएगा और सभी आपत्तियों को अधिनियम की धारा 16 के तहत निर्णय लिये जाने के लिए छोड़ दिया जाएगा। इस तिथि से, इस निर्णय में

अपनाई गई स्थिति अधिनियम की धारा 11(6) के तहत लंबित आवेदनों को भी नियंत्रित करेगी।

(xi) जहां जिला न्यायाधीशों को अधिनियम की धारा 11(6) के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया गया था, उनके द्वारा अब तक किए गए नियुक्ति आदेश वैध माने जाएंगे; लेकिन यदि इस तिथि तक उनके समक्ष कोई आवेदन लंबित है, तो उसे संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उस न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा निपटाए जाने के लिए हस्तान्तरित कर दिया जाएगा।

(xii) कोंकण रेलवे निगम. लिमिटेड बनाम रानी कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड के निर्णय को खारिज कर दिया गया है।"

"उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि धारा 11 के तहत मुख्य न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश द्वारा प्रयोग की जा रही शक्ति एक प्रशासनिक शक्ति नहीं है बल्कि यह एक न्यायिक शक्ति है। यह भी स्पष्ट है कि उस आदेश के विरुद्ध भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत ही इस न्यायालय में अपील की जा सकेगी। हालांकि कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन में फैसला लिमिटेड (सुप्रा) को खारिज कर दिया गया है, बेंच ने स्पष्ट किया है कि मध्यस्थों या मध्यस्थ न्यायाधिकरणों की नियुक्ति को वैध माना जाएगा, सभी आपत्तियों को अधिनियम की धारा 16 के तहत निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया जाएगा। दुर्भाग्य से, एसबीपी एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और अन्य (सुप्रा) में उपरोक्त निर्णय हालांकि पहले यानी 26.10.2005 को तय किया गया था, इसे मुख्य न्यायाधीश के ध्यान में नहीं लाया गया, जिन्होंने इसके बाद एक आदेश पारित किया था, जो कि 09.12.2005 को

पारित किया गया था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि धारा 11(6) के तहत पारित आदेश एक न्यायिक आदेश है और उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिस्पर्धी उत्तरदाताओं इस न्यायालय के अपीलकर्ता के रुख के प्रकाश में बिना दोनों पक्षों के दावे और आपत्ति को ध्यान में रखे मध्यस्थ नियुक्ति करने का आक्षेपित आदेश बरकरार नहीं रखा जा सकता है। उच्च न्यायालय का आदेश इस प्रकार है:

श्री विजय कुमार सिंह उत्तरदाता की ओर से उपस्थित हुए हैं। शपथपत्र दाखिल करने की प्रार्थना खारिज कर दी गई है।

इस मामले में मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से 26, हैमिल्टन रोड के माननीय गिरिधर मालवीय, इस उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नामित किया गया है।

एसडी/-

अजयनाथ रे.सी.जे."

जैसा कि अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने ठीक ही बताया है, आदेश मध्यस्थ नियुक्त करने का कोई कारण नहीं दिखाता है। जैसा कि पहले कहा गया है, एसबीपी एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और अन्य (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले के बाद यह मुख्य न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश का दायित्व है कि वह दोनों पक्षों के दावे पर विचार करे और एक तर्कयुक्त आदेश पारित करे।

उपरोक्त कमज़ोरी के अलावा, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने हमारे ध्यान में यह भी लाया है कि मध्यस्थ की नियुक्ति के आवेदन के विरोध में शपथपत्र दायर करने के अनुरोध के बावजूद, मुख्य न्यायाधीश ने आगे समय नहीं दिया। यह भी बताया गया है कि उत्तरदाता संख्या 4 को छोड़कर, अन्य उत्तरदाताओं को नोटिस की

तामील नहीं हुई थी और उन्हें सुने बिना ही मध्यस्थ नियुक्त करने का आदेश पारित कर दिया गया है। हमने उच्च न्यायालय की ऑर्डर शीट (अनुलग्नक-पी4) जो पेपर-बुक के पृष्ठ 50 पर उपलब्ध है, का सत्यापन किया, प्रासंगिक विवरण यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"ऑर्डर शीट

आर्बिट्रेशन प्रकरण संख्या 2002 का 54

Xxxx xxxx xxxx

14.07.05 प्रकरण

श्री वाई.पी. सिंह अधिवक्ता और अजय कुमार सिंह ने उत्तरदाता नंबर 4 की ओर से वकालतनामा दाखिल किया है,

17.12.2002 को उत्तरदाताओं को जारी किए गए नोटिस निम्नानुसार तामील के बाद वापस कर दिए गए हैं:

प्रतिवादी संख्या 7 'अज्ञात' रिपोर्ट के साथ बिना डिलीवर हुआ कवर लौटा दिया।

प्रतिवादी संख्या 6 'अज्ञात' रिपोर्ट के साथ बिना डिलीवर हुआ कवर लौटा दिया।

प्रतिवादी क्रमांक 8 'अज्ञात' रिपोर्ट के साथ बिना डिलीवर हुआ कवर लौटा दिया।

प्रतिवादी नंबर 1 'अज्ञात' रिपोर्ट के साथ बिना डिलीवर हुआ कवर लौटा दिया।

प्रतिवादी क्रमांक 3 'अज्ञात' रिपोर्ट के साथ बिना डिलीवर हुआ कवर लौटा दिया।

प्रतिवादी संख्या 2 नोटिस तामील के बाद वापस नहीं आया है, आदेश के लिए रखा।

एसडी/-

अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपि (डी) विभाग

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद"

जैसा कि ठीक ही बताया गया है कि 09.12.2005 को आदेश पारित करने से पहले सभी उत्तरदाताओं को विधिवत नोटिस तामील हुआ या नहीं, इसका सत्यापन नहीं किया गया था। हमारी राय में, निम्नलिखित निष्कर्ष निकलेगा:

(i) प्रतिवादी संख्या 4 को छोड़कर सभी उत्तरदाताओं को मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन में नोटिस तामील नहीं हुआ।

(ii) यहां तक कि तामील हुए उत्तरदाता को भी अपनी आपत्ति दर्ज करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया।

(iii) यह आदेश एसबीपी एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और अन्य (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है।

(9) उपरोक्त के मद्देनजर, हमारे पास आक्षेपित आदेश को रद्द करने और नए आदेश पारित करने के लिए उसे भेजने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। चूंकि यहां उत्तरदाताओं 1 और 7 का प्रतिनिधित्व उनके अधिवक्ता द्वारा किया गया है और इस

न्यायालय में अन्य उत्तरदाताओं को विधिवत नोटिस दिया गया और कोई भी उनके लिए उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उन्हें इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 4 सप्ताह की अवधि के भीतर अपनी आपत्तियां दर्ज करने की अनुमति है, यदि वे चाहें तो। उपर्युक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, हम यह स्पष्ट करते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा कोई और नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बाध्य हैं क्योंकि वे सभी (शिवकुमार अग्रवाल को छोड़कर) संख्या 20, गुरदास कॉलोनी, वाराणसी में रहने वाले एक ही परिवार के सदस्य हैं और उन सभी को इस न्यायालय में विधिवत नोटिस दिया गया था।

(10) इसलिए, हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 09.12.2005 के आक्षेपित आदेश को रद्द करते हैं और जैसा कि ऊपर देखा गया है इसे उच्च न्यायालय को एसबीपी एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और अन्य (सुप्रा) में निर्धारित सिद्धांतों के प्रकाश में यथाशीघ्र नए आदेश पारित करने के लिए भेजते हैं।

(11) सिविल अपील उपर्युक्त उल्लेखित सीमा तक स्वीकार है। कोई लागत नहीं।

एन.जे. अपील स्वीकृत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी वर्षा आमेरा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।